



# रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर  
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

## निविदा आमंत्रण सूचना


(क्रमांक- 19 दिनांक 26.07.2024)

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्य के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र "ब" में आयटम दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये दिनांक **14.08.2024** को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट <https://rda.cgstate.gov.in/> में देखा जा सकता है।

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5
1.	प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ फेस-1 में निर्मित 120 आवासीय फ्लैट्स के अग्निशमन प्रणाली (Fire Fighting System) के सुधार कार्य बाबत।	रु. 6.00 लाख	रु. 12,000/-	10 दिन

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक **13.08.2024** को (दोपहर 1.30 बजे तक) निर्धारित राशि रु. 2000/- नगद में राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक **14.08.2024** को 1.30 बजे तक एफ.डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) निर्धारित श्रेणी का पंजीयन (2) आयकर के पेनकार्ड की प्रति जमा करना होगा। (3) जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (4) फायर फाईटिंग सिस्टम के रिपेयरिंग कार्य सुधारक का अनुभव एवं स्वयं का वर्क-शॉप सर्व सुविधा-युक्त आवश्यक है। (5) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र। (6) प्राधिकरण में कार्य कर चुके निविदादाताओं/सुधारकों द्वारा कार्य के निर्धारित समय सीमा में किए गए अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदाय करने का निर्णय कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तों के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

  
कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)  
रायपुर विकास प्राधिकरण,  
रायपुर छ0ग0

9c